कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ।

पत्रांक /14–1 ,आगरा, दिनांक, 20 ,नवम्बर, 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– मैनपुरी में शिकोहाबाद–भौगॉव मार्ग (एस0एच0–84) किमी0 चैनेज 21.000 से 43.800 एवं घिरोर बाईपास लम्बाई 6.56 किमी0 कुल 25.66 किमी0 लम्बाई में 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य हेतु 24.92755 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4645 वृक्षों एवं पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– आपका पत्रांक पं0 2693 / मैनपुरी / 25364 / 2017 दिनांक 20.06.2017 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी का पत्र सं0–1006 / 14–1 दिनांक 25.10.2017

महोदय,

विषयांकित प्रस्ताव में आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.06.2017 से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विषयांकित प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, मैनपुरी के सन्दर्भित पत्र, जो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 06.11.2017 को प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण निम्नवत् है :–

Obser. No	Observation	Reply
1	2	3
1	प्रस्ताव के साथ तीन संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट संलग्न है, जो औचित्यपूर्ण नहीं है, इसके स्थान पर एक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, जिसमें प्रभावित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित, पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों एवं पौधों का स्पष्ट विवरण अंकित हो, प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।	दिये गये निर्देशानुसार प्रभावित होने वाली वन भूमि की एक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है ।
2	प्रस्ताव के साथ बाधक 4645 वृक्षों / पौधों का विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न है। ऑनलाइन पार्ट–2 पर बाधक 1796 वृक्षों का विवरण अपलोड है, अर्थात बाधक पौधों की संख्या 2849 है। इन ऑकड़ो की पुष्टि करें।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में 4645 वृक्षों / पौधों का पातन किया जाना प्रस्तावित है । आनलाईन पार्ट–2 में 0–31 सेमी0 गोलाई के ऊपर के 1796 वृक्षों / पौधों को अपलोड किया गया है। शेष 2849 वृक्षों / पौधों की गोलाई 0–30 से0मी0 की है । आनलाईन पार्ट–2 में 0–30 से0मी0 गोलाई के वृक्षों / पोधों को अपलोड करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। इस कारण 2849 वृक्षों / पौधों को अपलोड नहीं किया जा सका ।
3	प्रकरण में पर्यावर्णीय स्वीकृत की आवश्यकता है अथवा नहीं ? यदि आवश्यक हो, तो प्रस्ताव के साथ सत्यापित प्रति संलग्न करें।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकरण में पर्यावर्णीय स्वीकृति की आवश्यकता नही है ।
4	प्रस्ताव के साथ पृष्ठ–62–93 पर संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलन में लैण्ड बैंक की भूमि पर वृक्षारोपण का उल्लेख किया गया है, जबकि उक्त भूमि वन ब्लाक में स्थिति है। इस सम्बन्ध में लैण्ड बैक का आशय स्पष्ट करने का कष्ट करें।	उक्त प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन ब्लाक की भूमि चिन्हित की गई है एवं वन ब्लाक की भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का ही प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है।

5	प्रस्ताव के साथ पृष्ठ–62–93 पर संलग्न क्षतिपूरक नवीकरण के प्राक्कलन में प्रतिवर्ष अनुमानित वृद्धि का समावेश नहीं किया गया प्रतीत होता है।	मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी ,उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 62–93 तक संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कंलन में तृतीय वर्ष (प्रथम अनुरक्षण) से प्रति वर्ष महंगाई व मुद्रा स्फीति को ध्यान में रखते हुये 10 प्रतिशत की दर से अनुमानित वृद्धि को समावेशित किया गया है , इस कारण क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कंलन में संशोधन की आवश्यकता नही है ।
6	प्रस्तावित स्थल का डिजिटल मैप सी0डी0 सहित संलग्न है, किन्तु सी0डी0 में कोई मार्किंग अंकित नहीं है।	डिजिटल मैप की सी0डी0 पर मार्किंग कर प्रेषित है
7	ऑनलाइन एव ऑफलाइन पार्ट–2 पर अंकित हरियाली का घनत्व त्रुटिपूर्ण है। दशमलव के एक स्थान तक ही अंकित किया जाता है।	दिये गये निर्देशानुसार हरियाली धनत्व को संशोधित कर दिया गया है ।
8	प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 की गणना खुले वन हेतु निर्धारित दर पर की गई है, जो त्रटिपूर्ण है। 0़6 हरियाली के घनत्व के अनुसार सघन वन हेतु निर्धारित दर रू0 8,03,000 /– प्रति हे0 की दर पर एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	दिये गये निर्देशानुसार एन0पी0वी0 की गणना को सघन वन की निर्धारित दर के अनुसार संशोधित कर संलग्न कर प्रेषित है ।
9	मार्ग चौड़ीकरण का एक Liner Plan जिसमें विद्यमान R.O.W, प्रस्तावित R.O.W. एवं चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष संरक्षित वनभूमि को मीटर में दर्शाया गया हो, संलग्न नहीं है। पृष्ठ–18–21 पर संलग्न स्टिप प्लान में मार्ग का ROW स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। प्रस्ताव के पृष्ठ–94 पर संलग्न प्राक्कलन का कोई औचित्य नहीं है प्रस्ताव के पृष्ठ–94 पर संलग्न ब्रिकगार्ड वृक्षारोपण के प्राक्कलन को प्रस्ताव से पृथक कर दें। सम्भवतः मार्ग चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु संरक्षित वनभूमि अवशेष नहीं रह जाती। स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित संशोधित Liner Plan संलग्न कर दिया गया है, जिसके अनुसार चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु प्रत्येक पटरी पर 4.26 मी0 की संरक्षित वन भूमि अवशेष रहती है, जिस पर ब्रिकगार्ड वृक्षारोपण का प्राविधान किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है।
10	ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–13 पर दुगने अवनत वनभूमि में वृक्षा0, चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि में वृक्षा0 एवं सेन्टल वर्ज पर वृक्षारोपण को धनराशि को अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। चौडीकरण के अपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि में वृक्षा0 अन्य मद में देय होता है एवं सेन्टल वर्ज पर वृक्षारोपण भारत सरकार के निर्देशों के कम में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा स्वयं किया जाता है। केवल दुगने अवनत वनभूमि मे वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण की धनराशि को ही ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–13 पर अंकित करें।	दिये गये निर्देशानुसार प्रस्ताव में केवल दुगने अवनत वनभूमि मे वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण की धनराशि को ऑनलाइन पार्ट–2 में अंकित किया गया है।

11	वन संरक्षक द्वारा ऑनलाइन संस्तुति अंकित कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं की गयी है।	ऑनलाइन डाटा इन्ट्री की प्रति संलग्न है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी से प्राप्त प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न कर अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

तीन मूल पत्रावली सहित प्राप्त।

Rs
20/11/17 (9410831479)

भवदीय,

20.11.17

(रमेश कुमार पाण्डेय)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 2545/ दिनांकित।

1– प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आवक विभाग की प्रति प्राप्त।

Rs
20/11/17

20.11.17

(रमेश कुमार पाण्डेय)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।